se1.gzb@pvvnl.org
CIN:U31200UP2003SGC027458

कार्यालय
अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
ए–ब्लॉक, हाईडिल कॉलोनी, कविनगर,
गाजियाबाद।

पत्रांक 3525/वि0न0वि0म0–प्रथम/गा0बाद दिनांक 11/11/24

विषयः–विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु आदेश।

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक
राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली।

विज्ञापन व्यवस्थापक
हिन्द आत्मा, गाजियाबाद।

महोदय,

आपके प्रतिष्ठित दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र के एक अंक में आपके यह उपलब्ध छोटे से छोटे टाइप और कम से कम स्थान में दो कॉलम साइज में दिनॉंक 12.11.2024 तक को प्रकाशनार्थ संलग्न विज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। हैडिंग व नीचे के नाम व पते में भी बडा टाइप न लगायें तथा नाम व पता एक ही लाइन में छापें। विज्ञापन में शीर्ष पर पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0 का मोनोग्राम एंव सबसे नीचे इस आदेश की संख्या व दिनॉक भी छोटे से छोटे टाईप में अवश्य प्रकाशित करें। इस निर्देशों के विपरीत छपे विज्ञापनों के बीजकों में आवश्यक कटौती करने के लिए पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0 बाध्य होगा।

1. स्थानीय प्रकृति की सूचना जैसे–बिजली बंद रहने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगने की सूचना, बिजली बिलों के सम्बन्ध में सूचना आदि का प्रकाशन यथा सम्भव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा ई–निविदा सूचनाओं का प्रकाशन ई–निविदा हेतू निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्ययवस्था सुनिश्चित करें।
2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतू प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क की बीजक तीन प्रतियों मे अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की सम्पूर्ण वाउचर प्रतियां संलग्न करते हुए भुगतान हेतू प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विक्टोरिया पार्क, मेरठ को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन भुगतान सम्भव न होगा।
3. संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी विज्ञापन का प्रकाशन हिन्दी भाषा में 8–10 प्वाइंट टाईप में एक ही कॉलम में किया जाये। अंग्रेजी भाषा सामग्री का प्रकाशन हिन्दी भाषा में अनुवाद के पश्चात ही करें जिसके लिए समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नही होगा।
4. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्वतः एक सप्ताह के अन्दर विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बधित वीजक का सत्यापन भुगतान नही किया जायेगा।
5. टेन्डर/सूचना इत्यादि यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापन देय स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन प्रकाशित न करें। अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्व इस आशय से सूचना देने का कष्ट करें।

विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाईप में "राष्ट्र हित में बिजली बचायें " का नारा तथा विद्युत चोरी का हेल्प लाइन नम्बर अवश्य दें।

संलग्नकः–विज्ञापन सामग्री

भवदीय

(अनिल कुमार सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता
Superintending Engineer
Electricity Urban Distribution Circle-I
Ghaziabad

पत्रांक 3525/ वि0न0वि0मण्डल–प्रथम/गा0बाद दिनांकः– 11/11/24

प्रतिलिपि निम्न को विज्ञापन सामग्री सहित सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा को निगम की वेबसाईट पर डलवाने की कृपा करें।
2. मुख्य अभियन्ता(वि0),गाजियाबाद क्षेत्र–प्रथम, गाजियाबाद।
3. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ। (ई–मेलः– pro@pvvnl.org)
4. सम्वन्धित निविदा पत्रावली।

(अनिल कुमार सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता
Superintending Engineer
Electricity Urban Distribution Circle-I
Ghaziabad

पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

ई–निविदा संख्या--29/2024-25/EUDC-I/GZB धरोहर–30000, वि0न0वि0ख0–प्रथम, गा0बाद के कार्यक्षेत्र में जमा योजना मद में विद्युतीकरण, पोल शिफ्टिंग संयोजन एवं भार बढ़ाने सम्बन्धी कार्य जो दिनांक 27.11.2024 12:00 तक भरी एवं उसी दिन 17:00 खोली जायेगी। किसी भी संसोधन/सूचना https://etender.up.nic.in तथा www.pvvnl.org पर देखी जा सकती है।

Superintending Engineer
Electricity Urban Distribution Circle-I
Ghaziabad

अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम,गाजियाबाद

''राष्ट्रहित में बिजली बचायें''

लालू यादव कह रहे हैं कौन है मोदी, क्या चीज है मोदी। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी विश्व के नेता हैं, पूरी दुनिया में मोदी-मोदी की गूंज है। भारत की छाती को 56

संक्षिप्त खबरें

वाहन चोर पकड़ा

वाहन चोर निरोधक दस्ता पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर उससे एक बाइक व स्कूटी बरामद की है। पकड़े गए वाहन चोर का नाम गुरदीप सिंह उर्फ सोनू है और वह पहले से इस प्रकार के 16 मामलों में शामिल रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी से पुलिस ने तीन मामलों का खुलासा करने का दावा किया है। डीसीपी वेस्ट विचित्र वीर के मुताबिक आरोपी से बरामद स्कूटी व बाइक जनकपुरी, पंजाबी बाग और पश्चिम विहार वेस्ट थाना इलाके से चुराई गई थीं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस वाहन चोर का पता लगाया और शाम के समय विष्णु गार्डन एनडब्ल्यू चौक पर जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

रिसीवर सहित तीन बदमाश बंदी

नई दिल्ली। सेंट्रल दिल्ली जिला पुलिस ने राजधानी दिल्ली के 20 से ज्यादा थाना क्षेत्रों में 80 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके दो बदमाश गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर सोने की चेन इत्यादि खरीदने वाले रिसीवर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सेंट्रल दिल्ली इलाकों में महिलाओं को टारगेट कर दिनदहाड़े उनसे सोने की चेन लूट लेते थे। दोनों बदमाशों ने रणजीत नगर इलाके में भी इसी तरह की एक वारदात को भरी ... छानबीन करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए दोनों बदमाशों का पता ... गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों के नाम रामनारायण उर्फ प्रेम नारायण ... राम नारायण पर 35 मामले और मिथुन पर 38 मामले पहले से चल रहे हैं। दोनों की गिरफ्तारी से पुलिस ने रणजीत नगर इलाके में हुई वारदात का खुलासा किया है।

29 मामलों में शामिल वाहन चोर दबोचा

नई दिल्ली। वेस्ट दिल्ली जिले के राजौरी गार्डन थाना इलाके की सुभाष नगर चौकी पुलिस ने एक वाहन चोर गिरफ्तार कर उससे चोरी की तीन स्कूटी व बाइक बरामद की। बरामद बाइक व स्कूटी राजौरी गार्डन, तिलक नगर और उत्तम नगर थाना इलाके से चुराई गई थीं। आरोपी की शिनाख्त चमन के रूप में हुई है। पर पहले से इस प्रकार के 29 मामलों में शामिल रहा है। डीसीपी विचित्र वीर के अनुसार शाम के समय गश्त करते समय पुलिस ने सुभाष नगर दो ब्लॉक में एक स्कूटी सवार को छतरी वाला पार्क के पास चेकिंग के लिए रोका। छानबीन में उनकी स्कूटी राजौरी गार्डन इलाके से चोरी की पाई गई। पूछताछ में फिर उसकी पहचान की गई। आगे उसकी निशानदेही पर एक और स्कूटी और बाइक बरामद की गई। पता चला कि वह पहले से 29 मामलों में

पुलिस की गिरफ्त में पकड़े गए तस्कर। फोटो : एसएनबी

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली पुलिस ने एक महीने तक चले अभियान में हथियार तस्करों के एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर अब तक इसके 18 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, 'ईगल' नामक पूरे अभियान के दौरान आरोपियों से चार स्वचालित पिस्तौल, आठ तमंचे, एक देसी रायफल, तीन चाकू और 33 कारतूस बरामद किए। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किये गये लोग पहले भी हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, जबरन वसूली, सेंधमारी, दंगा, चोरी, शस्त्र अधिनियम और गैंगस्टर अधिनियम के 50 से अधिक मामलों में संलिप्त रहे हैं।

इस बाबत विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि 'ईगल' अभियान दिल्ली और एनसीआर में सक्रिय हथियार तस्करों पर नकेल कसने के लिए चलाया गया था। अधिकारी के अनुसार, यह अभियान गाजीपुर से दो लोगों (अरशद और मोहम्मद सुलेमान) को गिरफ्तार किये जाने के बाद शुरू किया गया। उनके पास से एक बंदूक, तीन कारतूस, तीन चाकू और एक चोरी की कार जब्त की गई। विशेष आयुक्त ने कहा, पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने दिल्ली-एनसीआर में हथियारों की खरीद-फरोख्त में शामिल गिरोह के कई अन्य सदस्यों के नाम बताए। पूरे गिरोह के बारे में जांच-पड़ताल करने और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके गिरोह को खत्म करने के लिए कई टीम गठित की गई हैं। अधिकारी ने बताया कि टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी की और 'मदन गिरोह' से जुड़े 16 और लोगों को गिरफ्तार किया।

- दिल्ली और एनसीआर में सक्रिय हथियार तस्करों पर नकेल कसने के लिए चलाया गया था 'ईगल' अभियान
- पूरे अभियान के दौरान चार स्वचालित पिस्तौल, आठ तमंचे, एक देसी रायफल, तीन चाकू और 33 कारतूस बरामद किए

श्रीवास्तव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस के समक्ष कबूल किया कि वे सभी एक ही गिरोह के हैं और दिल्ली-एनसीआर में अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त में संलिप्त हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गिरोह के मुखिया मदन को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की डासना जेल से गिरफ्तार किया, जहां से वह गिरोह का संचालन कर रहा था।

सिख दंगा मामला

- अभियोजन पक्ष की गवाह लोकेंद्र कौर की गवाही निचली अदालत ने दर्ज कर ली है और बचाव पक्ष का वकील 12 नवम्बर को उनसे जिरह करेगा

नई दिल्ली (एसएनबी)। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने उच्च न्यायालय से 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान उत्तरी दिल्ली के पुलबंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या से जुड़े एक मामले में उनके खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने का सोमवार को अनुरोध किया। टाइटलर के अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले को मंगलवार को एक निचली अदालत में अभियोजन पक्ष के गवाह के बयान दर्ज करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है और संबंधित अदालत को यह निर्देश दिया जाए कि जब तक उच्च न्यायालय उनके खिलाफ हत्या एवं अन्य अपराधों के आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला नहीं लेता, तब तक मामले में सुनवाई न की जाए।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने पहले टाइटलर को कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए वक्त दिया था। उन्होंने कहा कि दस्तावेज दाखिल कर दिए गए हैं, लेकिन वे रिकॉर्ड में नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्री को दस्तावेजों को आज ही रिकॉर्ड में रखने और दोपहर को इस मामले पर सुनवाई करने का निर्देश दिया। टाइटलर की उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका पहले ही 29 नवम्बर को उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जा चुकी है और इसके लंबित रहने के दौरान टाइटलर ने मामले की सुनवाई पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि अभियोजन पक्ष की गवाह लोकेंद्र कौर की गवाही निचली अदालत ने दर्ज कर ली है और बचाव पक्ष का वकील 12 नवम्बर को उनसे जिरह करेगा। इसमें कहा गया है, टाइटलर की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका अभियोजन पक्ष की मंशा और सीबीआई द्वारा की गई जांच पर पर्याप्त सवाल उठाती है। इसलिए, इस अदालत से निचली अदालत को पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक मामले में आगे सुनवाई न करने का आदेश/निर्देश देना न्याय के हित में उचित है।

पीड़ितों की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फूलका ने याचिका का विरोध किया और कहा कि गवाह उम्रदराज हैं और विभिन्न बीमारियों से जूझ रही हैं तथा उन्हें कई बार निचली अदालत में पेश होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चौथी बार वह मंगलवार को अदालत में पेश होंगी। उच्च न्यायालय ने टाइटलर के वकील से कुछ गवाहों के बयान दाखिल करने के लिए कहा था जिन्हें पहले दर्ज नहीं किया गया। सीबीआई ने मामले में टाइटलर के खिलाफ 20 मई 2023 को एक आरोपपत्र दाखिल किया था। सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में कहा है कि टाइटलर ने एक नवम्बर 1984 को पुलबंगश गुरुद्वारा आजाद मार्केट में एकत्रित भीड़ को कथित तौर पर भड़काया जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारे को जला दिया गया और सिख समुदाय के तीन लोगों ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह की हत्या कर दी गयी। एक सत्र अदालत ने पिछले साल अगस्त में इस मामले में टाइटलर को अग्रिम जमानत दे दी थी।

स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला

- अदालत ने सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सुनवाई 16 नवम्बर तक की स्थगित

नई दिल्ली (एसएनबी)। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार ने आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में अपने खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेने को सत्र अदालत में चुनौती दी है। उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट की अदालत ने मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल आरोप पत्र पर 30 जुलाई को संज्ञान लिया था। अदालत ने सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सुनवाई 16 नवम्बर तय की है।

कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में मालीवाल से मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। वे अभी जमानत पर हैं। उनके वकील मनीष बंदवान ने 29 अक्टूबर को तीस हजारी की एक सत्र अदालत में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल कर नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के बजाय निरस्त दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत संज्ञान लेने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि संज्ञान में इस बात पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या नए बीएनएसएस के तहत कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आरोप पत्र में भी कई खामियां हैं। साथ ही उसमें कई विसंगतियां भी हैं।

याचिका में कहा गया है कि इस मामले की जांच के दौरान महत्वपूर्ण सबूत जैसे कि सीसीटीवी फुटेज हासिल किया गया और जब्त किया गया। लेकिन उसकी एफएसएल की रिपोर्ट अभी भी लंबित है। इस दशा में आरोप पत्र पर संज्ञान लेते समय महत्वपूर्ण सबूत पर विचार नहीं किया गया है। मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक अधूरे आरोपपत्र पर ही संज्ञान ले लिया है। इसलिए संज्ञान लेने के आदेश को निरस्त कर दिया जाए। 17 जुलाई को दाखिल आरोपपत्र में आईपीसी की धारा 201, 308, 341, 354, 354बी, 506 और 509 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

मलिक को चिकित्सा मुहैया कराने पर सुनवाई 18 को

नई दिल्ली ... यासीन मलिक को चिकित्सा सुविधा मुहैया करने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट अब 18 नवंबर को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि तब तक उसे जेल नियमों के तहत उचित चिकित्सा सुविधा मिलता रहेगा।

मलिक आतंकवादी वित्त पोषण मामले में तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। एनआईए ने फांसी की सजा देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है जिसपर सुनवाई लंबित है। वहीं मलिक पिछले हफ्ते उसी याचिका के अधीन अर्जी दाखिल कर कहा कि उसके पहली नवंबर से भूख हड़ताल पर रहने के कारण काफी तबीयत खराब हो गई है। उसे जेल के बाहर के अस्पतालों में तुरंत भर्ती कराने की जरूरत है। अतिरिक्त सालिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि जेल में सब कुछ उपलब्ध है। वहां एक उपयुक्त जेल अस्पताल मौजूद है। कोर्ट ने कहा कि जेल अधिकारियों की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार मलिक ने 8 नवंबर को भूख हड़ताल खत्म कर दी थी। अगर मलिक की स्वास्थ्य स्थिति इतनी गंभीर है, तो भूख हड़ताल से उसे मदद नहीं मिलने वाली है। मलिक के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल भूख हड़ताल पर है, उसकी अदालती कार्यवाही में शारीरिक रूप से शामिल होने समेत कुछ मांगे हैं। मलिक ने याचिका में कहा कि वह हृदय व गुर्दे की गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है।

- दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई 15 जनवरी के लिए स्थगित कर दी

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएसआईएस के कथित कैडर रमीज अहमद लोन की जमानत याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति प्रतिभा मनिंदर सिंह एवं न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने एनआईए को अपना पक्ष रखने को कहते हुए सुनवाई 15 जनवरी के लिए स्थगित कर दी है।

निचली अदालत ने उसकी जमानत याचिका 28 सितंबर को खारिज कर दिया था। उसने उस आदेश को ही चुनौती दी है। एनआईए ने जून 2021 में मामला दर्ज किया था। एनआईए ने रमीज अहमद लोन को 11 जुलाई, 2021 को आईएसआईएस वॉयस ऑफ हिंद (वीओएच) मामले में आईएसआईएस के दो अन्य कैडर उमर निसार व तनवीर अहमद भट के साथ गिरफ्तार किया था। यह मामला आईपीसी की धारा 124ए, 153ए, 153बी और यूएपीए की धारा 17, 18, 18बी, 38, 39 और 40 के तहत दर्ज किया गया था। उसमें आरोप लगाया गया है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने भारत में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने की साजिश रचा है, जिससे भारत के खिलाफ हिंसक जिहाद छेड़ा जा सके। एनआईए ने कहा है कि भारत में आईएसआईएस कैडरों के साथ-साथ विभिन्न आतंकवादी संगठनों ने छद्म ऑनलाइन पहचान बनाकर नेटवर्क बनाया है। उसमें आईएसआईएस से संबंधित प्रचार सामग्री का प्रसार किया जाता है जिससे सदस्यों को कट्टरपंथी बनाया जा सके व आईएसआईएस में भर्ती किया जा सके। उसी दिशा में भारत-केंद्रित ऑनलाइन प्रचार पत्रिका 'द वॉयस ऑफ हिंद' (वीओएच) मासिक आधार पर प्रकाशित की जाती है, जिसका उद्देश्य युवाओं को भड़काना और कट्टरपंथी बनाना है। एनआईए ने आरोपियों के परिसरों की तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज, कई डिजिटल डिवाइस और आईएसआईएस के लोगो वाली टी-शर्ट बरामद की थी। जब्त सामग्री की प्रारंभिक जांच और आरोपियों की जांच से पता चला है कि वे आईएसआईएस के सक्रिय कैडर हैं और ऑनलाइन पत्रिका (वीओएच) द्वारा भड़काऊ सामग्री का प्रचार करने के लिए साइबरस्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं।

हाईकोर्ट ने आदेश वापस लेने से किया इनकार

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफंस कॉलेज व दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में कथित सीट आवंटन विवाद के बीच अल्पसंख्यक श्रेणी के छात्र को कक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति देने वाले आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा एवं न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की पीठ ने डीयू की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने छात्र के कक्षाओं में उपस्थित होने के निर्देश को वापस लेने की मांग की थी। पीठ ने कहा, इस अदालत को यह विश्वास दिलाकर गुमराह किया गया है कि छात्र पहले से ही कालेज में कक्षाओं में भाग ले रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय ने अपने दावे के समर्थन में कोई सामग्री नहीं पेश की है। हमें अपने आदेश को वापस लेने की प्रार्थना स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं दिखता है। कोर्ट ने 28 अक्टूबर को छात्र को राहत देते हुए अगले आदेश तक उसे कक्षाओं में शामिल होने की अनुमति दी थी। निर्देश का पालन न करने पर डीयू के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की मांग करने वाले छात्र की याचिका पर सोमवार को सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि उसका नामांकन हो गया है। कोर्ट ने पहले स्पष्ट किया था कि जब तक उसका निर्देश वापस नहीं लिया जाता, डीयू अनुपालन करने के लिए बाध्य है।

लापता किशोरी को परिवार ...

नई दिल्ली। आरके पुरम थाना पुलिस ने एक लापता किशोरी का पता लगाकर उसे परिजनों से मिलवा दिया। डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि 9 नवम्बर को सुबह नौ बजे के आसपास किशोरी के गुमशुदा होने की सूचना पुलिस को मिली थी। परिवार वालों ने बताया कि वह आरके पुरम सेक्टर 1 की अंबेडकर बस्ती में रहते हैं। उनकी बेटी अचानक सुबह से लापता है और काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। शिकायत पर छानबीन कर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व मुखबिरों की मदद से किशोरी को ढूंढकर परिजनों से मिलाया।

सब्जी विक्रेता की हत्या के दो आरोपी पकड़े

नई दिल्ली (एसएनबी)। द्वारका नॉर्थ थाना इलाके में सब्जी विक्रेता की हत्या के मामले में पुलिस ने 15 दिन बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की शिनाख्त प्रशांत और अमन सिद्दीकी के रूप में हुई है। दोनों रामा पार्क, मोहन गार्डन और नवादा के रहने वाले हैं। डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। हत्या की वारदात 23 अक्टूबर की रात हुई थी। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पता लगाकर दोनों बदमाशों तक पहुंची। आरोपी सब्जी विक्रेताओं से रंगदारी मांगते हैं।

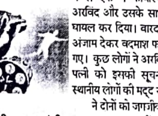

- एक की हालत गंभीर
- पुलिस ने चार बदमाश पकड़े, एक की तलाश जारी

नई दिल्ली (एसएनबी)। बाहरी उत्तरी दिल्ली जिले के भलस्वा डेयरी थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर इलाके में रविवार रात हुई फायरिंग में गोली लगने से दो लोग घायल हो गए। आनन-फानन में दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों की पहचान अरविंद और गोलू के रूप में हुई है। अरविंद को एक गोली छाती और एक जांघ पर लगी है, जबकि एक बुलेट गोलू के हाथ को छूकर निकल गई। केस दर्ज पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है।

रविवार देर रात साढ़े ग्यारह बजे अरविंद पास की दुकान पर घर के लिए सामान लेने गया था। इस बीच दुकान के पास खड़े कुछ लड़कों से किसी बात को लेकर उसकी कहासुनी हो गई और वहां उपस्थित पांच लोगों में से एक ने फायरिंग कर अरविंद और उसके साथी को घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। कुछ लोगों ने अरविंद की पत्नी को इसकी सूचना दी। स्थानीय लोगों की मदद से पत्नी ने दोनों को जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में गोलू को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई। डीसीपी निधिन वालसन ने बताया कि भलस्वा डेयरी थाना पुलिस ने घायलों के बयान पर केस दर्ज कर पांच में से चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर रही है।

... मौत पर परिजनों ने किया हंगामा

- महिलाओं ने पुलिस पर लगाया हाथापाई और मारपीट करने का आरोप

नई दिल्ली (एसएनबी)। ... अस्पताल (जीटीबी) में एक युवक की मौत के बाद उसके परिजनों डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मियों ने मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन लोग लगातार विरोध कर रहे थे। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिसकर्मियों ने लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन लोग और विरोध करने लगे। कुछ देर तक अस्पताल परिसर में अफरातफरी का माहौल बना रहा। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने उनसे हाथापाई और मारपीट की। बताया जा रहा है कि जिस युवक को 7 नवम्बर को इस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन अस्पताल के डॉक्टर को उसकी मौत के लिए जिम्मेदार बता रहे थे। मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई की है या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है।

- मांगों को मनवाने के लिए 100 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठने का जवाहर सिंह ने किया ऐलान

नई दिल्ली (एसएनबी)। गंदे पानी की सप्लाई समेत साफ-सफाई और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर अब लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को बिंदापुर जेजे कॉलोनी में झुग्गी झोपड़ी एकता मंच (जेजेएएम) की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मंच के अध्यक्ष जवाहर सिंह ने सौ घंटे तक भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया। जिसके बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उनके समर्थन में उतर आये।

जवाहर ने कहा कि बिंदापुर के बाशिंदे पिछले दो तीन महीने से गंदा और बदबूदार पानी पीने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से लोगों के पेट की बीमारी, चर्म रोग समेत कई तरह की बीमारी होने लगी है। साफ-सफाई नहीं हो रही है। जहां तहां सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और मच्छर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सड़कें टूटी हुई हैं। स्थानीय विधायक, पार्षद कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार को भी इस समस्या से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। बढ़ते भीड़ को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने दोपहर बाद धरना खत्म करवा दिया। प्रीतम धाम के संस्थापक पीठाधीश्वर बाबा हरदास जी महाराज ने कहा कि दिल्ली की जनता जो पानी पी रही है वह उस दूषित यमुना का पानी पी रही है, जिसे फिल्टर कर के हमारे घरों में भेजा जा रहा है। फिल्टर के बाद भी पानी में कुछ ऐसे केमिकल रह जा रहे हैं जो तरह तरह की बीमारियां पैदा कर रहे हैं। स्वच्छ पानी हमारा अधिकार है और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह हमें पीने का साफ पानी मुहैया कराये। इसके लिए हम सभी को मिलकर आवाज उठानी होगी। धाम से जुड़े डा. आरपी सिंह ने कहा कि दूषित पानी की वजह से ही कई तरह की बिमारियां होती हैं।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना : ई-निविदा संख्या 29/2024-25/EUDC-I/GZB ... 11.2024 12.00 बजे तक भरी एवं ... https://etender.up.nic.in ... 1800-180-3002 ... 1912-180-6712 (लखनऊ) ... "राष्ट्रहित में बिजली बचायें" ... दिनांक 11.11.2024

उ.प्र. राज्य निर्माण सहकारी संघ लि. लखनऊ
(यू.पी.आर.एन.एस.एस.) राजकीय निर्माण एजेंसी
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता यू.पी.आर.एन.एस.एस. लि. निर्माण प्रखण्ड, आगरा
06 राजश्री गार्डन, दयालबाग, आगरा।

निविदा संख्या- EE-AGRA/OFFLINE-TENDER/2024-25 दिनांक 11.11.2024

निविदा सूचना

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जनपद-आगरा में निम्नलिखित कार्यों हेतु यू0पी0आर0एन0एस0एस0 में पंजीकृत अर्ह ठेकेदारों / फर्मों से मोहरबंद लिफाफों में ऑफलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं-

S.N.	WORK	TENDER COST (IN LAKHS)
1.	Construction Of Sewar Line & Chamber At D.B.R.A. University, Khandari Campus, District-Agra	RS. 07.55
2.	Aluminum Composite Panel & 3d Acrylic Letter Signage Work Gate No. 2 At D.B.R.A. University, Khandari Campus, District-Agra	RS. 07.57
3.	Wall Painting Grill Painting, Auditorium Front Face Painting, Garden Toe Wall Painting & Inner Painting Of International Guest House For Convocation Cermony 2024-25 At D.B.R.A. University, Khandari Campus, District-Agra	RS. 07.56

निविदा हेतु इच्छुक निविदाकर्ता उल्लेखित कार्यों का विवरण उनकी आगणन लागत, निविदा की धरोहर राशि, निविदा मूल्य, शर्तें व प्रतिबन्ध कार्यालय अधिशासी अभियन्ता यू0पी0आर0एन0एस0एस0 लि0, प्रखण्ड-आगरा 06 राजश्री गार्डन, दयालबाग, आगरा से दिनांक 12.11.2024 से 15.11.2024 के दौरान समस्त कार्यदिवसों पर प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक लेखा अनुभाग से प्राप्त कर सकते हैं। निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि 15.11.2024 सायं 05 बजे तक है।

अधिशासी अभियन्ता
उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0
आगरा

सड़े-गले मसूड़े हों फिर भी इंप्लांट से होगा स्वाभाविक दांतों का अनुभव

ज्ञानप्रकाश

नई दिल्ली। एसएनबी

- सस्ती दर पर होंगी डेंटल प्रत्यारोपण प्रक्रिया, सहजता से बदलेगी लोगों की जिंदगी
- बढ़ रहा दांत लगाने के लिए नॉन इनवेसिव विधि का प्रयोग
- फोटोकेमेट्री तकनीक दंत शल्यक्रिया विधि में कम करेगी मरीजों का दर्द

सोमवार को 'अमेरिकन डेंटिस्ट्री साउथ एशियाई फोरम' के तीन दिवसीय 14वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय दंत सम्मेलन के समापन समारोह में मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान (मेड्स) में डिपार्टमेंट आफ पीडियाट्रिक के प्रो. डा. ज्ञानेंद्र कुमार ने कहा कि कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) की मदद से दंत संबंधी विकृतियां दूर करने में बेहतरीन मदद मिल रही है। इसके तहत फोटोकेमेट्री, डेंटल ट्रांसप्लांट प्रोसीजर की जटिलताओं को दूर कर अब दर्द रहित शल्यक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। दंत शल्यक्रिया क्षेत्र में ईजाद नई तकनीकों में मानवीय चूक की गुंजाइश लगभग शून्य रहती है। इसमें मरीज के अस्पताल में भर्ती रहने के समय में भी कमी आई है और मसूड़ों में प्रत्यारोपण के दौरान घाव का जोखिम भी कम हुआ है। गौरतलब है कि दिवसीय 14वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय दंत सम्मेलन में 40 देशों 4000 से अधिक दंत चिकित्सकों ने भाग लिया।

फोटोकेमेट्री तकनीक से दांतों को दे सकते हैं नेचुरल फील : इस तकनीक के तहत इंप्लांट्स लगाने के बाद उनके ऊपर हम फोटोकेमेट्री तकनीक से दांतों को अपने हिसाब से प्रेराइज कर नेचुरल दांतों जैसा बना सकते हैं। अब भारत में भी धीरे-धीरे दांतों के इंप्लांट्स लगवाने का चलन बढ़ रहा है। इंप्लांट्स की कीमतें भी कम हो रही हैं। लोगों के पास सरकारी अस्पतालों में भी इंप्लांट्स लगाने के विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं, जिसमें खर्च भी कम आता है। प्राइवेट अस्पतालों में भी अब कम खर्च वाले इंप्लांट्स उपलब्ध होने लगे हैं।

इंप्लांट के जरिए दांत लगवाकर पा सकते हैं स्वाभाविक दांतों का अनुभव : दंत इंप्लांट सर्जन डा. मृणाल वर्मा के अनुसार दांतों में इंप्लांट लगवाने की मार्केट में कई ऐसी तकनीक उपलब्ध है, जिनके इस्तेमाल से इंप्लांट लगवा कर स्वाभाविक दांतों जैसा अनुभव पा सकते हैं। इन दांतों की लाइफ भी काफी लंबी होती है। इंप्लांट के जरिए दांतों को लगवाने के बाद कोई भी आसानी से खाना खा सकता है और उससे चेहरे का लुक भी नहीं बदलता। मुंह में दांतों के न होने पर लोगों को कई तरह परेशानियों सामना करना पड़ता है, लेकिन अब इस तरह की तकनीक उपलब्ध है कि नए दांत लगवाने के बाद उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती।

कब पड़ती है इंप्लांट की जरूरत : राजुल दंत इंप्लांट सेंटर के निदेशक डा. सीके अनिल के अनुसार एक्सीडेंट होने अथवा कीड़ा लगने के बाद जब हमारे दांत पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, तब इंप्लांट की जरूरत पड़ती है। इस प्रक्रिया के तहत पहले मुंह में इंप्लांट लगाए जाते हैं और कुछ समय बाद इंप्लांट्स पूरी तरह मुंह में सेट होने पर उनके ऊपर दांतों को बनाया जाता है। अब मुंह में दांत लगाने के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन में भी नॉन इनवेसिव (दर्द रहित छोटा चीरा) तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें बहुत कम समय और दर्द रहित हल्की चीर फाड़ कर दांत लगाए जाते हैं। यह प्रक्रिया नॉन इनवेसिव (दर्द रहित छोटा चीरा) होने से जख्म भी जल्दी ठीक होते हैं। डा. सीके अनिल के अनुसार आधुनिक समय में दांतों में इंप्लांट्स लगाने की इस तरह की तकनीक भी आ गई है कि अगर किसी के मुंह में दांत के नीचे की हड्डी भी खत्म हो जाए, तो उस हड्डी को भी दोबारा से बनाकर इंप्लांट लगाए जा सकते हैं।

सम्पादकीय

गृहयुद्ध जैसे हालात

मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी जिरीबाम जिले के एक आदिवासी बहुल गांव में घुस कर सशस्त्र उग्रवादियों ने कई घरों में आग लगा दी। इसमें एक महिला मारी गई। मृतक महिला के पति ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि कमरे में बंद कर महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि मणिपुर पुलिस इस मामले पर पर्दा डालने का प्रयास करती देखी गई। मणिपुर हिंसा को भड़के डेढ़ वर्ष से अधिक समय हो गया। सरकार इस पर काबू पाने का आश्वासन भर देती रही है। हकीकत यह है कि वहां गृहयुद्ध जैसे हालात हैं। मैतेई और कुकी समुदाय के लोग घात लगा कर एक दूसरे पर हमला करते रहे हैं। अब तो इस हिंसा में रॉकेट और ड्रोन जैसे अत्याधुनिक हथियारों का भी सहारा लिया जाता देखा जाने लगा है। कई घटनाओं से जाहिर हो चुका है कि उग्रवादी पहले किसी इलाके को चिह्नित करते हैं फिर वहां सुनियोजित ढंग से हमले करते हैं। इस [illegible] अधिक देखे जा रहे हैं।

हालांकि हिंसा भड़कने के बाद शुरू में केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया था, मगर वह केवल दिखावटी साबित हुआ। उसके बाद भी कई बार उग्रवादियों ने पुलिस के शस्त्रागार से हथियार और गोला बारूद लूट लिए। बार-बार दावे किए जाते रहे कि इस हिंसा पर काबू पा लिया जाएगा, मगर इसके लिए कोई व्यावहारिक कदम उठता नजर नहीं आया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच और राहत कार्य [illegible] कर दी थी। इसमें बाहरी राज्यों के पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया। मणिपुर पुलिस को बाध्य किया गया कि वह हर जांच में सहयोग करेगी। तब उम्मीद बनी थी कि मणिपुर हिंसा की हकीकत जल्दी ही सामने आएगी और इसे रोकने में मदद मिलेगी। मगर उसका भी कोई उल्लेखनीय नतीजा नहीं निकला। मणिपुर कोई इतना बड़ा और जटिल राज्य नहीं है कि वहां के [illegible] से निपटना [illegible]। विवाद भी एक भ्रम की वजह से पैदा हुआ था। उसमें वहां के उच्च न्यायालय ने मैतेई समुदाय को जनजाति श्रेणी में रखने का सुझाव दिया था। अगर सरकार सचमुच गंभीर होती तो वह अब तक दोनों समुदाय के लोगों को आमने-सामने बिठा कर मसले का हल निकाल चुकी होती। मगर उसके रवैये से तो यही लगता है कि वह इसे सुलझाना ही नहीं चाहती। मणिपुर सरकार और केंद्र की ढिलाई का ही नतीजा है कि वहां उग्रवादी संगठन लगातार ताकतवर होते गए हैं और हिंसा-प्रतिहिंसा की घटनाओं पर काबू पाना कठिन जान पड़ता है। केंद्र से विपक्षी दल लगातार मांग करते रहे कि अगर मणिपुर की स्थिति से निपटने में वहां के मुख्यमंत्री नाकाम साबित हो रहे हैं, तो उन्हें बदल देने में [illegible] क्यों होनी चाहिए। मगर केंद्र सरकार इस मांग को अनसुना करती रही। कोई भी [illegible] सरकार देश के किसी भी हिस्से में इस तरह पैदा हो गई गृहयुद्ध जैसी स्थिति को [illegible] कैसे देख सकती है? इस मामले में राज्य सरकार का [illegible] और केंद्र का [illegible] नेतृत्व की चुप्पी स्वाभाविक ही लोगों को हैरान करती है। अब तक मणिपुर में करीब ढाई सौ लोग मारे जा चुके हैं, साठ हजार के आसपास लोग अपने घरों से विस्थापित हैं, कई महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हो चुके हैं। अब कब सरकारों की संवेदनशीलता नजर आएगी?

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक अशोक कौशिक द्वारा फाल्गुन बुक्स एंड प्रिन्टर्स ए-1/185 स्वदेशी कॉम्पलेक्स, कविनगर इन्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद- 201001 से छपवाकर 308 अंसल सुप्रीया बिल्डिंग, आर.डी.सी. राजनगर गाजियाबाद से प्रकाशित।

सम्पादक :	अशोक कौशिक
समाचार सम्पादक :	राकेश शर्मा
कानूनी सलाहकार :	राजकुमार शर्मा, प्रदीप त्यागी, विकास त्यागी
मो. :	9810149213
फोन :	0120-4113213
E-mail :	hindatma@gmail.com

सभी विवादों का न्याय क्षेत्र गाजियाबाद होगा।

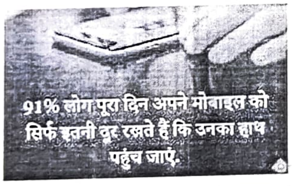

हिन्द आत्मा

मधुवन बापूधाम में भी अब आपका लोकप्रिय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र हिन्द आत्मा की शाखा कार्यालय अब मधुवन बापूधाम में भी खुल गया है। एफ-9/13, ग्राउंड फ्लोर, निकट पानी की टंकी, मधुवन बापूधाम, गाजियाबाद। कार्यालय प्रभारी : संजय चौहान

बाकू सम्मेलन अमीर देशों की उदासीनता दूर कर पायेगा

ललित गर्ग

> एक मायने में वैश्विक परिस्थितियों में आए बदलाव ने भारत-अमेरिका संबंधों को पिछले तीन दशकों में चीन के नाटकीय उदय को समानांतर ढंग से संगठित कर दिया है। अपने वैश्विक प्रभाव में चीन अब व्यावहारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को टक्कर दे रहा है। चीन के संदर्भ में यह अनुमान लगाया गया है कि यह उम्मीद करना उचित होगा कि व्हाइट हाउस में न तो हैरिस और न ही ट्रम्प वास्तविक रूप से अपनी नीति और दिशा बदलते। उल्लेखनीय है कि बीजिंग को वाशिंगटन अपना वैश्विक अभिशाप मानता है और जिसके अगले दो दशकों या उससे अधिक समय तक बने रहने की संभावनाएं है इसलिए कोई भी अमेरिकी प्रशासन निकट भविष्य में भारत के साथ अपने संबंधों को कमजोर करने का जोखिम नहीं उठाएगा।

संयुक्त राष्ट्र का दो सप्ताह का जलवायु सम्मेलन कॉप 29 सोमवार से अजरबैजान की राजधानी बाकू में शुरू हो गया है। पर्यावरण से जुड़े इस महाकुंभ में भारत समेत लगभग 200 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों के लिए जलवायु वित्त का नया लक्ष्य तय करने, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान की वृद्धि को सीमित करने और विकासशील देशों के लिए समर्थन जुटाने पर सार्थक एवं परिणामकारी भी चर्चाएं होने की संभावनाएं हैं। साथ ही इसमें पेरिस समझौते के लक्ष्यों को तेजी से आगे बढ़ाने पर समूची दुनिया के देश चर्चा करेंगे। सम्मेलन में भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं, जलवायु वित्त पर विकसित देशों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और ऊर्जा स्रोतों के समतापूर्ण परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त करना होंगी। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआइ) के विशेषज्ञ इस वर्ष के शिखर सम्मेलन से चार प्रमुख परिणामों की उम्मीद कर रहे हैं- नया जलवायु वित्त लक्ष्य, मजबूत राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के प्रति तेजी, पिछले वादों पर ठोस प्रगति और नुकसान व क्षति के लिए अधिक धनराशि। विश्व में तापमान बढ़ोत्तरी, 'अल नीनो' व 'ला नीना' के प्रभावों के चलते मौसम की घटनाओं से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। इस बीच एक नए अध्ययन में पूर्वी यूरोप के 10 ऐसे देशों की पहचान की गई है, जो भविष्य में तापमान वृद्धि से सबसे अधिक आर्थिक नुकसान का सामना करेंगे। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें जलवायु सम्मेलन कॉप-29 में होने वाली चर्चाओं, फैसलों और नतीजों पर टिकी हैं। कॉप-29 सम्मेलन को पर्यावरण समस्याओं, चुनौतियों एवं बदलते मौसम के मिजाज को संतुलित करने के लिये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सम्मेलन से दुनिया ने उम्मीदें लगा रखी हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने की राह में विकासशील देशों के सामने सबसे प्रमुख अवरोध वित्तीय संसाधनों का अभाव है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के बावजूद विकसित देशों का योगदान आवश्यक स्तर से कम है। वर्ष 2022 में विकसित देशों ने 115.9 अरब डालर उपलब्ध कराए और पहली बार 100 अरब डालर के वार्षिक लक्ष्य का आंकड़ा पार हुआ। हालांकि यह अभी भी कम है, क्योंकि अगर विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से जुड़े लक्ष्य हासिल करने हैं तो 2030 तक हर साल दो ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर राशि की आवश्यकता होगी। कर्ज का अंबार विकासशील देशों की राह में एक और बाधा बना हुआ है। तमाम विकासशील देश कर्ज के बोझ से ऐसे कराह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए उनके पास संसाधन बहुत सीमित हो जाते हैं। इसीलिये जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए अमीर एवं शक्तिशाली देशों की उदासीनता एवं लापरवाह रवैया एक बार फिर बाकू सम्मेलन कॉप-29 में चर्चा का विषय बन रहा है। दुनिया में जलवायु परिवर्तन की समस्या जितनी गंभीर होती जा रही है, इससे निपटने के गंभीर प्रयासों का उतना ही अभाव महसूस हो रहा है। मिस्र में हुए कॉप 27 में नुकसान एवं क्षतिपूर्ति कोष की पहल हुई थी, लेकिन उसमें पर्याप्त योगदान न होने से उसकी उपयोगिता सीमित बनी हुई है। ऐसे में यह उचित ही होगा कि विकासशील देश इस नुकसान एवं क्षतिपूर्ति मुआवजे पर भी जोर दें, जिसकी चर्चा तो बहुत हुई थी, लेकिन उस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए। विकसित देशों की जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं पर उदासीनता इसलिये भी सामने आ रही है कि विकसित देश कार्बन उत्सर्जन में अपने पुराने और भारी योगदान को अनदेखा करते हुए विकासशील देशों पर जल्द से जल्द उत्सर्जन कम करने के लिए ऐसा दबाव डालते हैं कि वे उनकी गति से ताल मिलाएं। इस प्रकार विकासशील देशों की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं का संज्ञान लिए बिना ही अमीर देशों द्वारा लक्ष्य तय किया जाना भी असंतोष का एक कारण बन रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जलवायु परिवर्तन से उपजी प्रतिकूल मौसमी परिघटनाओं ने उन देशों एवं समुदायों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अपेक्षाकृत कम जिम्मेदार हैं। देखा जाए तो आज जीवन के हर पहलू पर जलवायु में आते बदलावों का असर साफ तौर पर नजर आने लगा है। लोगों का स्वास्थ्य भी इससे सुरक्षित नहीं है। बात चाहे आपदाओं के कारण जा रही जानों की हो या इसकी वजह से तेजी से पनपती बीमारियों की, जलवायु परिवर्तन रूप बदल-बदल कर लोगों के स्वास्थ्य पर आघात कर रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य पर मंडराते इस खतरे को कहीं ज्यादा संजीदगी से लेने की जरूरत है। बढ़ती गर्मी के प्रति चेतावनी, जीवाश्म ईंधन की सही कीमत का निर्धारण और घरों में ऊर्जा के साफ सुथरे साधनों का उपयोग सालाना 20 लाख लोगों की जान बचा सकता है। ऐसे में इस शिखर सम्मेलन से ठीक पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी देशों से जीवाश्म ईंधन से अपना नाता तोड़ने का आग्रह किया है। साथ ही सरकारों से आम लोगों को जलवायु में आते बदलावों का सामना करने के काबिल बनाने में मदद करने की वकालत की है। कॉप-29 से ठीक पहले जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर जारी अपनी विशेष रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक नेताओं से जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य को अलग-अलग मुद्दों के रूप में देखना बंद करने का आग्रह किया है। ताकि न केवल लोगों के जीवन को बचाया जा सके, साथ ही मौजूदा और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 100 से भी ज्यादा संगठनों और 300 विशेषज्ञों के सहयोग से जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को संबोधित करते हुए कॉप-29 पर यह विशेष रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में तीन प्रमुख क्षेत्रों लोग, क्षेत्र और ग्रह से जुड़ी महत्वपूर्ण नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 360 करोड़ लोग ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हैं, जो जलवायु में आते बदलावों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। यह वो क्षेत्र हैं जहां खतरा बहुत ज्यादा है। लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए ऐसी स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करना जरूरी है जो जलवायु में आते बदलावों का सामना कर सकें और मुश्किल समय में भी लोगों के प्राणों की रक्षा कर सकें। स्वास्थ्य और जलवायु नीतियों का मेल मानव प्रगति एवं आदर्श विश्व संरचना के लिए बेहद जरूरी है। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले दशकों में वैश्विक तापमान और बढ़ेगा इसलिए अगर दुनिया अब भी नहीं सतर्क होगी तो इक्कीसवीं सदी को भयानक आपदाओं से कोई नहीं बचा पाएगा। भारत के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित 11 ऐसे देश हैं जो जलवायु परिवर्तन के लिहाज से चिंताजनक श्रेणी में हैं। ये ऐसे देश हैं, जो जलवायु परिवर्तन के कारण सामने आने वाली पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिहाज से खासे कमजोर हैं। औद्योगिक गैसों के लगातार बढ़ते उत्सर्जन और वन आवरण में तेजी से हो रही कमी के कारण ओजोन गैस की परत का क्षरण हो रहा है। इस अस्वाभाविक बदलाव का प्रभाव वैश्विक स्तर पर हो रहे जलवायु परिवर्तनों के रूप में दिखलाई पड़ता है।

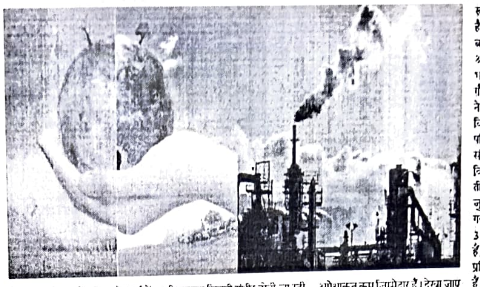

तीसरे श्री श्याम वार्षिक महोत्सव में बाबा के भजनों पर झूमे भक्तजन

हिन्द आत्मा संवाददाता

गाजियाबाद। रुद्र अवतार श्री बालाजी महाराज सेवादल के तत्वाधान में शनिवार को खाटू श्याम जी का कीर्तन लाइनपार क्षेत्र के भीमा भाई पार्क आयोजन किया गया। कार्यक्रम का श्री गणेश बालाजी मंदिर के महंत पंडित रामदास व पंडित प्रमोद शर्मा के द्वारा मंत्रोच्चारण द्वारा हुआ। रुद्र अवतार श्री बालाजी महाराज सेवा दल के संस्थापक अमित राघव ने बताया कि शनिवार को लाइन पार क्षेत्र थाना विजयनगर के सामने स्थित भीमाबाई अंबेडकर पार्क में तीसरा श्री श्याम वार्षिक महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस भजन संध्या में जाने माने भजन गायक जयपुर से संजय पारीक, कोमल शर्मा, चंदू भैया (छोटा खाटू धाम), प्रदीप शर्मा (नारनौल), हर्षित वार्ष्णेय गाजियाबाद, विराट माउंट गाजियाबाद मुख्य रूप से अपनी वाणी से श्याम बाबा के भजनों का गुणगान किया। उन्होंने बताया यह कार्यक्रम शाम 7 बजे से प्रभु इच्छा तक चला। इस कार्यक्रम में गाजियाबाद की जानी-मानी हस्ती व्यापारी एवं समाजसेवी नेता प्रेमचंद गुप्ता, भाजपा नेता विकास बंसल, भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा, सपा प्रत्याशी सिंह राज जाटव, बसपा प्रत्याशी पीएन गर्ग, हिंदू रक्षा दल से पूनम सिंह चौधरी सहित तमाम क्षेत्र के पार्षद व भाजपा नेता व हिन्डन विहार बालाजी मंदिर के महंत मछंदर पुरी आदि खाटू श्याम के भक्तजन उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि श्री श्याम वार्षिक महोत्सव में सैंकड़ों धर्मप्रेमियों ने बाबा खाटू श्यामजी के भजनों का लाभ उठाया। इस शुभ अवसर पर अमित शर्मा प्रबंधक सरस्वती शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, रुद्र अवतार श्री बालाजी महाराज सेवादल के संस्थापक अमित राघव, केके स्वामी, सुखविंदर, पार्षद संतोष राणा, पार्षद पूनम सिंह, पार्षद ओमप्रकाश ओढ़, मुकेश राकेश, पार्षद कन्हैया लाल, हरजीत सिंह बिट्टू, हरप्रीत सिंह जग्गी, सुधीर कुमार शर्मा, योगेश त्यागी, विक्रांत त्यागी, ठाकुर जगपाल सिंह, अनिल सिंह, दीपि चौहान, जयवीर सिंह भड़ाना, अजय सिंह राघव, पार्षद गोपाल, सत्येंद्र ठाकुर, मनवीर विवेक गोस्वामी, मोनू ठाकुर, वीरेंद्र भारती आदि मौजूद रहे।

मिलन ज्वेलर्स व मिलन क्लॉथ हाउस शोरूम का हुआ उद्घाटन

डासना (हिन्द आत्मा)। गाजियाबाद के मसूरी गांव में मिलन ज्वेलर्स व मिलन क्लॉथ हाउस शोरूम का उद्घाटन किया गया। लगभग 50 सालों से मसूरी इलाके के आसपास के गांव का विश्वास जीतने वाले मिलन ज्वेलर्स के शोरूम का भी री उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन में आसपास के इलाकों से आए मेहमानों ने उद्घाटन समारोह में शिरकत की और दोनों शोरूमों के लिए शुभकामनाएं दी। उद्घाटन के बाद सभी लोगों ने जलपान ग्रहण किया और लोगों ने जमकर तारीफ की। उद्घाटन समारोह में उपस्थित लोगों ने बताया कि यहां पर मिलन ज्वेलर्स का शोरूम तो है ही साथ में कपड़े का भी शोरूम खुल गया है और लेडिस सूट से लेकर लहंगा चुन्नी हर चीज यहां पर मिलेगी। जैसे कि शादी का सामान आदि। उसके बाद उन्होंने बताया कि ज्वेलरी की दुकान ने लोगों के प्रति अपना विश्वास जमा कर आज शोरूम तक आने का सफर तय किया है। इस तरह आदिल भाटी ने लेडिस सूट के शोरूम के सफर को लेकर आगे तक जाएंगे जिससे लोगों का विश्वास जम सकेगा। जब इस बारे में आदिल भाटी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम मसूरी इलाके के लोगों को अच्छी वैरायटी उपलब्ध कराएंगे जिससे लोगों का विश्वास जम सकेगा। मिलन ज्वेलर के मालिक मल्लू ने बताया कि हमारा विश्वास लोगों पर लगभग 40 से 50 सालों से जमा हुआ है जिसको हम बरकरार रखेंगे लेकिन उनके कहने से पहले वहां पर जो ग्राहक देखे गए उनका अंदाजा लगाना मुश्किल था। वहां उपस्थित लोगों ने बताया कि उनका व्यवहार लोगों की प्रति बहुत अच्छा है। इस मौके पर मौजूद लोगों में इकराम भाटी, कामिल प्रधान, राशिद भाटी, मोबीन नंबरदार, सोनू कुमार, मुबारक अली, कलवा चौधरी, डॉ. अब्दुल सलाम, दानिश चौधरी, राशिद चौधरी, नाजिम चौधरी, वसीम भाटी, सोहेल भाटी, आरिफ भाटी, मोनिस भाटी, गुड्डू भाटी आदि लोग मौजूद रहे।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

ई-निविदा संख्या-29/2824-25/EUDC-I/GZB धरोहर-30000, विo नo विoवo-प्रथम, गाoबाद के कार्यक्षेत्र में नया योजना पद में विद्युतीकरण, पोल शिफ्टिंग संबंधित एवं भार बढ़ाने सम्बन्धी कार्य जो दिनांक 27.11.2024 12:00 तक भरी एवं उसी दिन 17:00 खोली जायेगी। किसी भी संशोधन/सूचना https://etender.up.nic.in तथा www.pvvnl.org पर देखी जा सकती है। अधीक्षण अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० ए-ब्लॉक, हाईडिल कॉलोनी, कविनगर, गाजियाबाद।

पत्रांक: 3525 विoनoविoमo-प्रथम/गाoबाद | दिनांक: 11/11/2024

'राष्ट्रहित में बिजली बचायें'

अदालती सूचना

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
न्यायालय- उप जिलाधिकारी (न्यायिक) धौलाना, जिला हापुड़

नम्बर मुकदमा- 1518 सन- 2024
इन्द्रपाल सिंह आदि बनाम चन्द्रपाल सिंह आदि
1. श्री इन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री नवल सिंह।
2. योगेश तेवतिया पुत्र श्री इन्द्रपाल सिंह।
निवासीगण देवनगर उर्फ देवली, नत्थुगढ़ी, गुलावठी रूरल, जिला बुलन्दशहर।
3. श्रीमती विनेश सिंह पत्नी श्रीपाल सिंह, निवासी ऑलिव काऊण्टी, सैक्टर-5, वसुन्धरा, गाजियाबाद।
4. भूमि प्रबन्धक समिति/ग्रामसभा ग्राम सिरोधन, परगना हापुड़ तहसील धौलाना।

हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश बाबत 116/117 उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 के दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 12/11/2024 बरवक्त 10 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमें के हालात करार वाकई वाकिफ किया गया हो और कुल उमूरात अहम मुताल्लिका मुकदमा का जवाबदेही या जिसके साथ कोई और शख्स हो, जो जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हो और जवाब दावा की और आपको लाजिम है कि उसी रोज अपने जुमला दस्तावेज पेश करें जिनपर आप बताई व अपनी जवाबदेही के इस्तेमाल करना चाहते हो। आपको इत्तला जारी की जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर अदालत होवे वरना मुकदमा बगैर हाजिरी आप मसमूम और फैसला होगा। बरवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 3/10/24 को जारी किया गया।

उप जिलाधिकारी (न्यायिक) धौलाना।

अदालती सूचना

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
न्यायालय उप जिलाधिकारी (न्यायिक) धौलाना, जिला हापुड़

नम्बर मुकदमा- 1516 सन- 2024
चन्द्रपाल सिंह आदि बनाम श्रीमती जयवीरी आदि
1. श्रीमती जयवीरी पत्नी श्री इन्द्रपाल सिंह।
2. योगेश पुत्र श्री इन्द्रपाल सिंह।
निवासीगण देवनगर उर्फ देवली, नत्थुगढ़ी। गुलावठी रूरल, जिला बुलन्दशहर।
3. भूमि प्रबन्धक समिति/ग्रामसभा ग्राम सिरोधन, परगना हापुड़ तहसील धौलाना।

हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश बाबत 116/117 उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 के दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 12/11/2024 बरवक्त 10 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमें के हालात करार वाकई वाकिफ किया गया हो और कुल उमूरात अहम मुताल्लिका मुकदमा का जवाबदेही या जिसके साथ कोई और शख्स हो, जो जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हो और जवाब दावा की और आपको लाजिम है कि उसी रोज अपने जुमला दस्तावेज पेश करें जिनपर आप बताई व अपनी जवाबदेही के इस्तेमाल करना चाहते हो। आपको इत्तला जारी की जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर अदालत होवे वरना मुकदमा बगैर हाजिरी आप मसमूम और फैसला होगा। बरवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 3/10/2024 को जारी किया गया।

उप जिलाधिकारी (न्यायिक) धौलाना।

कार्यालय नगर पंचायत डासना जनपद–गाजियाबाद

Email ID-nagarpanchayaldasna@gmail.com

पत्रांक : 635 / नपडा– / 2024–2025 दिनांक 11 / 11 / 2024

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत डासना जनपद–गाजियाबाद द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अन्तर्गत नगरवासियों को स्वच्छता के लिए जागरूक करने हेतु लोकल ब्राण्ड अम्बेसडर के रूप में डासना कस्बा के प्रतिष्ठित नागरिक श्री सतीश शर्मा मोबाईल नं0–09560479971 का चयन दिनांक 08.11.2024 में किया गया है।

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत डासना, जनपद–गाजियाबाद
अध्यक्ष, नगर पंचायत डासना, जनपद–गाजियाबाद।

कार्यालय नगर पंचायत डासना जनपद–गाजियाबाद

Email ID-nagarpanchayaldasna@gmail.com

पत्रांक : 636 / नपडा– / 2024–2025 दिनांक 11 / 11 / 2024

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत डासना जनपद गाजियाबाद की सीमान्तर्गत समस्त 15 वार्डों को नगर के सम्मानित नागरिकों के बहुमूल्य प्रयासों से स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत खुले में शौच की कुप्रथा को समाप्त करते हुए (ODF++) घोषित किया जाता है। शासन के नियमानुसार खुले में शौच पर जुर्माना रू0 250.00 व पेशाब करते पाये जाने पर रूपये 50.00 का जुर्माना लगाया जाएगा।

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत डासना, जनपद–गाजियाबाद
अध्यक्ष, नगर पंचायत डासना, जनपद–गाजियाबाद।